संख्या-35/2018/1473/46-1-18-1000(78)/2017

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोण्डा, बलरामपुर तथा बहराइच।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 अक्टूबर, 2018

विषयः- चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गो का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-23 (सामान्य) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या-559/12-निर्माण:अ.ग्रा., दिनांक 13-07-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) के अन्तर्गत योजना हेतु निर्धारित फंडिगं पैर्टन 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के अन्तर्गत प्राविधानित राज्यांश की धनराशि रू. 1032.00 लाख (रूपये दस करोड़ बत्तीस लाख मात्र) के सापेक्ष 48 सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक के स्तम्भ-6 में अंकित अनुमानित लागत की कुल धनराशि रू. 1290.001 लाख (रूपये बारह करोड़ नब्बे लाख एक सौ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष स्तम्भ-4 की सड़कवार/योजनावार के संलग्नक के स्तम्भ-7 के अनुसार देय राज्यांश की कुल धनराशि रू. 1031.999 लाख (रूपये दस करोड़ इकत्तीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ मात्र) के सापेक्ष प्रथमकिश्त के रूप में 50 प्रतिशत (कालम-8 के अनुसार) धनराशि रू. 515.998 लाख (रूपये पॉच करोड़ पन्द्रह लाख निन्यानबे हजार आठ सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्योंके विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तद्हेतु इस शासनादेश के संलग्नक के कालम-9 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में संलग्नक के स्तम्भ-10 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(7) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2019) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्वता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(11) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(12) कार्य की विशिष्टयाँ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(14) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तत्कालीन आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/ पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(15) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-04-चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-738/दस-18, दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या-35/2018/1473/46-1-18-1000(78)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।

3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

4- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।

5- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।

6- प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र., लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।

8- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

9- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।

10- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

11- संबंधित जनपदों के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।

12- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

13- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,

14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-35/2018/1473/46-1-18-1000(78)/2017, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	लंबाई (कि0मी0)	अनुमानित लागत (ला0रू0)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला0रू0)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला0रू0)	वानिकी करण की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला0रू0)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु वानिकी करण सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहारनपुर	1	सुलतानपुर से मीरपुर।	2.000	37.630	30.1040	15.0520	0.0650	1.6500	13.3370
2	सहारनपुर	2	धुन्धामाजरा से यमुना की ओर।	0.600	11.860	9.4880	4.7440	0.0210	0.5200	4.2030
3	सहारनपुर	3	ननौली से माजरी	0.575	11.015	8.8120	4.4060	0.0200	0.4830	3.9030
4	सहारनपुर	4	इस्लामनगर रजवाहा से हरपाल	1.000	18.830	15.0640	7.5320	0.0330	0.8250	6.6740
			जनपद योग	**4.1750**	**79.3350**	**63.4680**	**31.7340**	**0.1390**	**3.4780**	**28.1170**
5	मु0 नगर	1	फरीदपुर चौहापुर रहडवा मार्ग का अवशेष भाग	0.750	17.591	14.0730	7.0370	0.0310	0.7720	6.2340
6	मु0 नगर	2	ग्राम खरपौड से बिजनौर रोड तक राजबाहे की पटरी	0.990	17.639	14.1110	7.0550	0.0310	0.7730	6.2510
			जनपद योग	**1.7400**	**35.2300**	**28.1840**	**14.0920**	**0.0620**	**1.5450**	**12.4850**
7	शामली	1	थाना भवन मुल्लापुर कुतबगढ रोड से थानाभवन तितासी रोड तक	1.700	38.969	31.1750	15.5870	0.0680	1.7080	13.8110
8	शामली	2	कसेरवा खुर्द से बराला मार्ग तक अवशेष भाग	0.395	9.129	7.3030	3.6520	0.0160	0.4010	3.2350
			जनपद योग	**2.0950**	**48.0980**	**38.4780**	**19.2390**	**0.0840**	**2.1090**	**17.0460**
9	मेरठ	1	फलावदा रोड से निलोहा संपर्क मार्ग	1.750	40.660	32.5280	16.2640	0.0710	1.7830	14.4100
10	मेरठ	2	खेडी मार्ग से शाहपुर बटावली मार्ग	1.000	21.210	16.9680	8.4840	0.0370	0.9300	7.5170
11	मेरठ	3	तोफापुर से शहजादपुर मार्ग	0.970	22.330	17.8640	8.9320	0.0390	0.9790	7.9140
12	मेरठ	4	खेचीखुर्द से चितवाना मार्ग प्रथम भाग	1.100	25.253	20.2020	10.1010	0.0440	1.1070	8.9500
13	मेरठ	5	दबथुवा गढ़ी;गैस गोदामद्ध रोड से भलसौना मार्ग	0.930	21.880	17.5040	8.7520	0.0390	0.9600	7.7530
14	मेरठ	6	किनौनी शुगर मिल रोड नहर पटरी से अट्टा चिन्दौडी मार्ग	2.750	59.234	47.3870	23.6930	0.1040	2.5970	20.9920
			जनपद योग	**8.5000**	**190.5670**	**152.4530**	**76.2260**	**0.3340**	**8.3560**	**67.5360**
15	हापुड	1	सिम्भावली ए.पी. नहर से बक्सर ढाना मार्ग	**1.025**	**35.324**	28.2590	14.1290	0.0620	1.5490	12.5180
			जनपद योग	**1.0250**	**35.3240**	**28.2590**	**14.1290**	**0.0620**	**1.5490**	**12.5180**
16	बिजनौर	1	नूरपुर पी.डबलू.डी.मार्ग रोड से मंगलखेड़ा मार्ग	0.484	11.000	8.8000	4.4000	0.0200	0.4820	3.8980
17	बिजनौर	2	हामानंगली मार्ग से किवाड़- 1	1.250	28.500	22.8000	11.4000	0.0500	1.2500	10.1000
18	बिजनौर	3	बख्शनपुर से ठाठजट की ओर	1.500	44.838	35.8700	17.9350	0.0780	1.9660	15.8910
19	बिजनौर	4	झालू से गांगखेड़ी मार्ग	0.970	20.989	16.7910	8.3960	0.0370	0.9200	7.4390

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

20	बिजनौर	5	रामपुर विडार से महमूदपुर मार्ग	1.000	20.907	16.7260	8.3630	0.0370	0.9170	7.4090
21	बिजनौर	6	बवनपुरा से भिंडिया खेड़ा मार्ग	1.000	21.494	17.1950	8.5980	0.0380	0.9430	7.6170
22	बिजनौर	7	हीमपुर दीपा-मारूफपुर मार्ग से जोगी औन्धा	0.350	7.917	6.3340	3.1670	0.0140	0.3470	2.8060
23	बिजनौर	8	नजीबाबाद रेलवे फाटक से दरियापुर	0.500	13.946	11.1570	5.5790	0.0240	0.6110	4.9440
24	बिजनौर	9	कन्डरावाला मार्ग (गुरूद्वारा कन्डरावाला से गांगन नदी की पुलिया तक)	1.000	22.430	17.9440	8.9700	0.0390	0.9830	7.9480
25	बिजनौर	10	हरेवली से दिनौड़ा मार्ग	0.500	13.567	10.8540	5.4270	0.0240	0.5950	4.8080
			जनपद योग	**8.5540**	**205.5880**	**164.4710**	**82.2350**	**0.3610**	**9.0140**	**72.8600**
26	बरेली	1	मकसूदनपुर से उन्हई खलासा शीशगढ़ रोड तक	1.500	42.790	34.2320	17.1160	0.0750	1.8760	15.1650
27	बरेली	2	पटेरी रोड से रिछौला	0.500	13.630	10.9040	5.4520	0.0240	0.5980	4.8300
28	बरेली	3	राठ से कल्यानपुर के बीच	0.230	6.400	5.1200	2.5600	0.0110	0.2810	2.2680
29	बरेली	4	दमखोदा नदी के पुल से ब्लाक मुख्यालय तक	1.000	28.220	22.5760	11.2880	0.0490	1.2370	10.0020
30	बरेली	5	कलारा से मिलक	0.900	27.010	21.6080	10.8040	0.0470	1.1840	9.5730
31	बरेली	6	कर्टारा से उर्दरा द्वितीय भाग	1.500	43.420	34.7360	17.3680	0.0760	1.9040	15.3880
32	बरेली	7	शारदा नहर से रघुपुरा घनश्याम	0.500	14.680	11.7440	5.8720	0.0260	0.6440	5.2020
33	बरेली	8	भदरक से मुडिया उदो विकास खण्ड शेरगढ	0.500	15.030	12.0240	6.0120	0.0270	0.6590	5.3260
			जनपद योग	**6.6300**	**191.1800**	**152.9440**	**76.4720**	**0.3350**	**8.3830**	**67.7540**
34	पीलीभीत	1	खेडा गांव से कुर्री मोड प्रथम भाग	1.000	30.950	24.7600	12.3800	0.0540	1.3570	10.969000
35	पीलीभीत	2	पीलीभीत खटीमा मार्ग से कोहना गांव तक (पुरानी पीलीभीत)	0.700	21.270	17.0160	8.5080	0.0380	0.9320	7.5380
36	पीलीभीत	3	सराय सुन्दरपुर मार्ग	0.500	14.960	11.9680	5.9840	0.0260	0.6560	5.3020
37	पीलीभीत	4	भिखारीपुर भंगा मार्ग से उगनपुर मार्ग	2.000	57.640	46.1120	23.0560	0.1010	2.5270	20.4280
38	पीलीभीत	5	हटुआ बाजार से मकतुल मार्ग	1.300	39.060	31.2480	15.6240	0.0680	1.7130	13.8430
			जनपद योग	**5.5000**	**163.8800**	**131.1040**	**65.5520**	**0.2870**	**7.1850**	**58.0800**
39	लखीमपुर खीरी	1	शारदानगर पी0डब्लू0डी0मार्गसे मल्लबेहड मार्ग	1.250	50.973	40.7780	20.3880	0.0890	2.2350	18.0640
40	लखीमपुर खीरी	2	नौवापुर साहनी पी.एम.जी.एस.वाई.रोड से तेलियार ठाकुरपुरवा मार्ग	0.550	15.987	12.7900	6.3950	0.0280	0.7010	5.6660
41	लखीमपुर खीरी	3	रामापुर से अमकोटवा मार्ग द्वितीय भाग	0.790	28.169	22.5350	11.2680	0.0490	1.2350	9.9840
42	लखीमपुर खीरी	4	बेलवामोती से राजापुर भज्जा सम्पर्क मार्ग	0.500	13.883	11.1060	5.5530	0.0250	0.6090	4.9190
43	लखीमपुर खीरी	5	भुरकुण्डा मार्ग से बसन्तीपुर सम्पर्क मार्ग	1.500	43.754	35.0030	17.5020	0.0770	1.9180	15.5070

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

44	लखीमपुर खीरी	6	चौरी से विशनूपुर मार्ग	0.800	28.220	22.5760	11.2880	0.0500	1.2370	10.0010
			जनपद योग	**5.3900**	**180.9860**	**144.7880**	**72.3940**	**0.3180**	**7.9350**	**64.1410**
45	सीतापुर	1	हरगाँव मतुआ रोड से पलौली तृतीय भाग	1.500	105.473	84.3780	42.1890	0.1850	4.6250	37.3790
			जनपद योग	**1.5000**	**105.4730**	**84.3780**	**42.1890**	**0.1850**	**4.6250**	**37.3790**
46	गोण्डा	1	हारीपुर प्राथमिक स्कूल से बहादीपुर ग्राम सभा भाग-1	0.380	10.110	8.0880	4.0440	0.0180	0.4440	3.5820
			जनपद योग	**0.3800**	**10.1100**	**8.0880**	**4.0440**	**0.0180**	**0.4440**	**3.5820**
47	बलरामपुर	1	मुडिला मिर्जापुर मार्ग से महदेहया	0.650	20.180	16.1440	8.0720	0.0360	0.8850	7.1510
			जनपद योग	**0.6500**	**20.1800**	**16.1440**	**8.0720**	**0.0360**	**0.8850**	**7.1510**
48	बहराईच	1	सिलेटनगंज से जुडा ग्राम मार्ग का अवशेष भाग	0.800	24.050	19.2400	9.6200	0.0420	1.0550	8.5230
			जनपद योग	**0.8000**	**24.0500**	**19.2400**	**9.6200**	**0.0420**	**1.0550**	**8.5230**
				46.9390	**1290.0010**	**1031.9990**	**515.9980**	**2.2630**	**56.5630**	**457.1720**

(रूपये पॉच करोड़ पन्द्रह लाख निन्यानबे हजार आठ सौ मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।